

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 47/2020 (जीसीएमएस नम्बर - 2020/00056)

1. हंसा पुत्र घूडया
2. प्यारा पुत्र घूडया
जाति गुर्जर निवासी पीपलकी तहसील सिकराय जिला दौसा राज।

— अपीलान्टस

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार सिकन्दरा, तहसील सिकराय, जिला दौसा।

— रेस्पोंडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध उप तहसीलदार सिकन्दरा निर्णय दिनांक 08.03.2016 अपील संख्या 471/2016 उनवानी सरकार बनाम हंसा एवं न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 26.08.2016 प्रकरण संख्या 76/2016 उनवानी हंसा बनाम राजस्थान सरकार में पारित किये गये हैं।

उपस्थित :-

1. श्री निर्मल कुमार शर्मा, वकील अपीलान्ट अनुपस्थित।
2. राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोंडेन्ट नं. 1 की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक—01.01.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 26.08.2016 एवं उप तहसीलदार सिकन्दरा के निर्णय दिनांक 08.03.2016 के विरुद्ध प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 14.07.2017 को पेश की गई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सिकन्दरा जिला दौसा के निर्णय दिनांक 08.03.2016 द्वारा अपीलान्ट के विरुद्ध संवत् 2072 में वाके ग्राम पीपलकी की आराजी खसरा नम्बर 1/1 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा किस्म गै0मु0 नदी पर कास्त कर पश्चातवर्ती अतिक्रमण करने पर अपीलान्ट को अतिक्रमण का दोषी मानते हुए अतिक्रमण शुदा रकबे से बेदखल किये जाने व 50 गुणा पैनल्टी कायमी एवं दो माह (60 दिन) के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने उक्त निर्णय के विरुद्ध अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा के यहां पेश की गई, जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.08.2016 द्वारा खारिज कर दी गयी।
3. उप तहसीलदार सिकन्दरा, जिला दौसा के निर्णय दिनांक 08.03.2016 तथा अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 26.08.2016 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय उप तहसीलदार सिकन्दरा, जिला दौसा दिनांक 08.03.2016 तथा अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.08.2016 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।
4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता अनुपस्थित। बहस रेस्पोंडेन्ट सुनी गयी।
5. अपीलान्ट की अपील मीमों में अंकित तथ्यों में मुख्य रूप से अंकित किया गया है कि योग्य अधीनस्थ हर दो न्यायालयों का निर्णय विधि विरुद्ध तथा तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त भूमि पर अपीलान्ट का कोई कब्जा नहीं है इसके बावजूद भी पटवारी हल्का द्वारा झूठी मौका रिपोर्ट पेश की गई है। योग्य अधीनस्थ हर दो न्यायालयों ने मौके की वास्तविक स्थिति का अवलोकन नहीं

करते हुये यह निर्णय पारित किया है। योग्य अधीनस्थ हर दो न्यायालयों ने अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात (शपथ पत्र कब्जा काशत नहीं होने का) का अवलोकन नहीं करते हुये निर्णय पारित कर दिया है। किसी व्यक्ति के विरुद्ध धारा 91 (1) लैण्ड रेवन्यू के अन्तर्गत निर्णय करते हुये यह देखा जाना आवश्यक है कि व्यक्ति ट्रेसपासर है या नहीं। परन्तु योग्य अधीनस्थ हर दो न्यायालयों ने इन सब बातों को ध्यान में नहीं रखकर यह निर्णय पारित कर दिया है। अपीलान्ट गरीब मजदूरी पेशे वाला व्यक्ति है, कमाने खाने के लिये बाहर चले जाने के कारण निर्णय की जानकारी समय पर नहीं मिलने के कारण अपील निर्धारित समय अवधि में पेश नहीं कर सका। जैसे ही अपीलान्ट्स को निर्णय की जानकारी प्राप्त हुई तो उसने निर्णय की नकल के लिये प्रार्थना पत्र दिनांक 06.07.2017 को पेश किया जिस पर अपीलान्ट्स को निर्णय की नकल दिनांक 07.07.2017 को प्राप्त हुई। तब सर्वप्रथम अपीलान्ट को उक्त आदेश की जानकारी हुई इससे पूर्व अपीलान्ट को उक्त आदेश की कतई जानकारी नहीं थी। अपील जानकारी होने की दिनांक से अन्दर मियाद प्रस्तुत की गई है। प्रकरण के तथ्यों एवं गुणावगुण को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कन्डोन किया जावे। अतः अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर आलौच्य निर्णय अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा दिनांक 26.08.2016 मुकदमा नम्बर 76/2016 उनवानी प्रकरण हंसा बनाम राजस्थान सरकार व निर्णय अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सिकन्दरा, जिला दौसा दिनांक 08.03.2016 मुकदमा नम्बर 471/2016 उनवानी सरकार बनाम हंसा को निरस्त फरमाने की कृपा करें।

6. रेस्पोडेन्ट नं. 1 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलान्ट्स द्वारा संवत् 2072 में वाके ग्राम पीपलकी की आराजी खसरा नम्बर 1/1 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा किस्म गै0मु0 नदी पर कास्त कर अतिक्रमण किया है। अपीलान्ट्स अतिक्रमी के विरुद्ध भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट्स को अतिक्रमण का दोषी मानते हुए अतिक्रमण शुदा रकबे से बेदखल किये जाने व 50 गुणा पैनल्टी कायमी एवं दो माह (60 दिन) के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है। अपीलान्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा में अपील दायर करने पर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा ने अपीलान्धीन आदेश दिनांक 26.08.2016 द्वारा खारिज कर दी गयी। जिससे जाहिर होता है कि अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण किया हुआ है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज के अनुसार अतिक्रमण किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया है, जो विधिवत प्रतीत होता है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है, जो पूर्णतया विधि अनुसार है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे।
7. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा पूर्व में आदेशिका दिनांक 26.09.2024 के द्वारा अपीलान्ट के अधिवक्ता को आगामी पेशी पर आवश्यक रूप से बहस करने तथा अन्यथा की स्थिति में पत्रावली का अवलोकन कर एवं वकील रेस्पोडेन्ट की बहस सुनकर गुणावगुण के आधार पर निर्णित किये जाने की हिदायत दी गई। फिर भी अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता अनुपस्थित है। अतः अपील की पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, अपीलान्ट की अपील मीमों में अंकित तथ्यों एवं गुणावगुण के आधार पर अपील का निस्तारण राजकीय अधिवक्ता की एकतरफा बहस के आधार पर किया जाना उचित समझते हैं। अपीलान्ट्स को अपीलान्धीन आदेश की जानकारी होते ही दिनांक 06.07.2017 को नकल हेतु आवेदन पेश करना अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम तथा प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुये माननीय उच्चतर न्यायालय द्वारा विलम्ब के प्रकरणों में नरमी का रूख अपनाते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने बाबत पारित नजीरों के आलोक में प्रकरण में नरमी का रूख अपनाते हुये, अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर

विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत की गई। पटवारी हल्का पीपलकी की रिपोर्ट में अंकित किया गया है कि अपीलान्त द्वारा संवत् 2072 में वाके ग्राम पीपलकी की विवादित आराजी खसरा नम्बर 1/1 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा किस्म गै0मु0 नदी पर कास्त कर अतिक्रमण किया है। अपीलान्त को भू सजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज के अनुसार अतिक्रमण किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया है, जो विधिवत प्रतीत होता है। अपीलान्त अतिक्रमी है, जबकि कानूनन गै0मु0 नदी की भूमि पर कास्त कर अतिक्रमण का अधिकार किसी को भी प्रदत्त नहीं है और यह कृत्य दण्डनीय है। ऐसे में गै0मु0 नदी की भूमि पर अतिक्रमण करने की प्रवृत्ति को रोकने एवं अंकुश लगाने के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलार्थीगण आदेशों में किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। अपीलार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय या न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य सबूत, तथ्य या दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे अपीलार्थीगण गै0मु0 नदी पर अतिक्रमी साबित नहीं होता है। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा का अपीलार्थीगण निर्णय दिनांक 26.08.2016 एवं अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सिकन्दरा जिला दौसा द्वारा जारी अपीलार्थीगण निर्णय दिनांक 08.03.2016 को यथावत रखा जाना न्यायोचित है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण की अपील सारहीन व बलहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा का अपीलार्थीगण निर्णय दिनांक 26.08.2016 एवं अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सिकन्दरा जिला दौसा द्वारा जारी अपीलार्थीगण निर्णय दिनांक 08.03.2016 को यथावत रखा जाता है।


(**डॉ. प्रवीण कुमार**)
अति. सहायकीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय दिनांक 01.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।


अति. सहायकीय आयुक्त,
जयपुर